

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांक प.7(1)गृह/ग्रुप-7/2021

जयपुर दिनांक : 26.03.2021


संशोधित आदेश

विषय :- होली एवं शब-ए-बारात के आयोजन पर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक बाबत।

विभागीय आदेश दिनांक 24.03.2021 द्वारा जारी किये गये निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किये जाते हैं :-

दिनांक 28.03.2021 एवं दिनांक 29.03.2021 को अपराह्न 4 बजे से रात्रि 10 बजे की समयवधि में सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

अन्य शर्तें यथावत् रहेगीं।



(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।

12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।


(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह